इस मुल्क के रहने वालों का राशन यह कहकर बद किया जा रहा है कि आप बंगला देशी हैं... [व्यवधान] क्या बंगला बोलना इस मुल्क में गुनाह है... [व्यवधान] दूसरी बात सुनिए। मैं बताना चाहता हूं कि किस तरह का दुर्व्यवहार किया जा रहा है... [व्यवधान]

†اس ملک کے رہنے والوں کا راشن یہ
کہہ کر بند کیا جا رہا ہے کہ آپ بنگلہ دیشی
ہیں ...'مداخلت'... کیا بنگلہ بولنا اس ملک
میں گناہ ہے ...'مداخلت'... دوسری بات
یہ سُنئے۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ کس طرح کا
دُرویوہار کیا جا رہا ہے ...'مداخلت'...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN): Mr. Afzal, you have raised the matter. Please sit down. You are not going to make a speech. I cannot permit.

श्री मोहम्मद अफ्जल उर्फ मीम अफ्जल: मैडम, मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। यह अहम मसला है.... [व्यवधान]

†میڈم مجھے اپنی بات تو پوری کرنے دیجئے
یہ اہم مسئلہ ہے ...'مداخلت'...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANATHI NATARAJAN): Mr. Afzal, I am not going to permit you to make a speech. Please sit down. Nothing further will go on record.

SHRI MOHAMMED AFZAL: *alias* Meem Afzal:

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN): Mr. Afzal, will you please sit down now? You have already made your point. I am not permitting you to make a speech in the Zero Hour. Mr. Salim.

SHRI MOHAMMED AFZAL: *alias* Meem Afzal:*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN): No. You have already made your pont. Nothing further of what you say will go on record.

SHRI MOHAMMED AFZAL: *alias* Meem Afzil:*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATRAJAN): You must have some discipline. Please sit down. I have already called Mr. Salim. You cannot speak for ten minutes in the Zero Hour.

SHRI MOHAMMED AFZAL: *alias* Meem Afzal.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN): Please sit down. You have made your point. Mr. Salim.

THE INDIAN MEDICAL COUNCIL (AMENDMENT) BILL, 1992—Contd.

श्री मोहम्मद सलीम (पश्चिमी बंगाल) मैडम, मैं कल इस बात को उठाने की कोशिश कर रहा था। अभी हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी इंडियन मेडिकल कौंसिल बिल, 1992 और डेंटिस्ट बिल, 1992 विदड्रा करने के लिए परमिशन मांग रहे हैं। पिछले सत्र में हम इसे बहस में ले आये, पास किया और फिर लोक सभा में पास न होने के कारण गवर्नमेंट ने दो जनवरी को री-आर्डिनेंस जारी किया। पिछले साल जब आर्डिनेंस लाया गया था तो इस कारण से लाया गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने केपिटेशन फी के विरोध में प्राइवेट मैडिकल कालेज के विरोध में अपनी राय अख्तियार की थी।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN): Please be very brief.

श्री मोहम्मद सलीम: जब यह आर्डिनेंस यहां पर बहस के लिए लाया गया था और बहस हुई थी तो उसके बाद स्वास्थ्य मंत्री बदल गये लेकिन मैं समझता हूं मंत्री बदल जाये लेकिन उनकी जो बातें हैं वे नहीं बदलनी चाहिएं। पिछली बार यह कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है इसलिए हमारे पास पैंडिंग कम्पीहैंसिव बिल पड़ा हुआ है। उस वक्त यूनेनिमसली यह बात तय हो गई थी कि केपिटेशन फी के विरोध में और प्राइवेट कालिजेज के विरोध में एक सेलेक्ट कमेटी हम बनायें। सदन की अनुमति के अनुसार उसे इंटरोडक्शन की स्टेज पर ही सेलेक्ट कमेटी के लिए एक राय से बिल पास कर दिया था। लेकिन आज तक सरकार किसी वेस्टेड इंटरेस्ट के कारण इसे नहीं लाई। लेकिन फिर से सरकार ने आर्डिनेंस जारी कर दिया।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN): Please conclude now. This is for withdrawal.

---

†[ ] *Transliteration in Arabic Script.*

श्री मोहम्मद सलीम: सुप्रीम कोर्ट ने क्लीयरली यह फैसला कर दिया है कि एजुकेशन फंडामेंटल राइट है और प्राइवेट मेडिकल कालिजेज के विरोध में, कमर्शियल हायर एजुकेशन के विरोध में अपनी राय दे चुका है। वह कम्परीहैंसिव बिल लाना होगा प्राइवेटाइजेशन आफ मैडिकल कालेजज के खिलाफ केपिटेशन फी के खिलाफ। कुछ अनरेकोगनाइज्ड मेडिकल कालिजेज हैं और कुछ ब्यूरोक्रेट्स कुछ राजनीतिक व्यक्ति अपनी इच्छापूर्ति के लिए या व्यवसाय करने के लिए गरीब लोगों को मार रहे हैं जिनके पास मरिट हैं और ये पैसे वाले लोग रुपया देकर सीट खरीद लेते हैं।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN): Mr. Salim, please conclude. This is for withdrawal. There is no time alloted for this.

श्री मोहम्मद सलीम: मंत्री जी बोलेंगे कि प्लानिंग कमीशन ने एक कमेटी बैठा दी थी। सरकार की राय से जाहिर है कि सरकार की नीयत क्या है।

सरकार ने वायदा किया था कि कम्परीहैंसिव बिल लायेंगे लेकिन इससे पहले प्लानिंग कमीशन ने एक कमेटी बनाई थी जिसमें 9 मैम्बर हैं—5 चीफ मिनिस्टर और बाकी स्वास्थ्य मंत्री। इन पांच चीफ मिनिस्टरों में से चार तो चले गये और एक चीफ मिनिस्टर बीजू पटनायक जी रह गये। स्वास्थ्य मंत्री जी बदल गये लेकिन वह कमेटी अभी तक नहीं बैठी। सुप्रीम कोर्ट की राय पर विद्यार्थी सड़क पर आये—आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मद्रास में। आपने उनको धोखा देने के लिए कमेटी बना दी इसीलिए आज तक वह बैठी नहीं। उस कमेटी की जरूरत भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट प्राइवेटाइजेशन आफ मेडिकल कालिजेज और इंजीनियरिंग कालिजेज के विरोध में अपनी राय दे चुका है। सरकार एश्योरेंस दे कि वह बिल लायेंगे जिसमें सारे देश में पैसे वालों को मेडिकल कालिज और इंजीनियरिंग कालिज की सीटें नहीं बेची जायगी सभी हम इस को विदड्रा करने की इजाजत देंगे।

SHRI MOHAMMED AFZAL *alias* MEEM AFZAL (Uttar Pradesh): Madam, I associate myself with Mr. Salim.

PROF. SAURIN BHATTACHARYA (West Bengal): Madam, yesterday you allowed me. I only want to say that the point raised by Mr. Md. Salim should be taken care of by the Minister in his reply.

SHRIMATI KAMLA SINHA (Bihar): Madam, this is a very important issue and the Government must come out with an answer immediately.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN): The Minister is going to speak now. Yes, Mr. Minister.

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI B. SHANKARANAND): Madam Chairperson, I can appreciate the agitation of hon. Members in this regard. I can assure the House that the judgement of the Supreme Court has given certain schemes for admission of students.

There is no other way but to accept the judgement of the Supreme Court. We will not hesitate to bring a law which will stop commercialisation of not only medical education but all the education in this country. The Government will be second to none in preventing this sort of commercialisation in the field of education. We have already promuglated an Ordinance and under the Constitution within six weeks of the commencement of the Parliament Session this Ordinance has to be enacted into law. We will take all steps in this regard.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN): The question is:

"That the House concurs in the recommendation of the Lok Sabha that the Rajya Sabha do agree to leave being granted by the Lok Sabha to withdraw the Bill further to amend the Indian Medical Council Act, 1956, which was passed by the Rajya Sabha on the 22nd December, 1992, and laid on the Table of the Lok Sabha on the 23rd December, 1992."

The motion was adopted.